

**मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र****(दिनांक 08/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)****वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 08/06/2023 को दोपहर 11:00 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।**

- A. बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
  2. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
  3. श्री संतोष कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआईडी।
  4. श्री नागेंद्र सिरोही, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
  5. श्री भूपेंद्र कुमार मर्तोलिया, निरीक्षक, सीमा शुल्क, आईसीडी मुरादाबाद।
  6. श्री आनंद प्रकाश, निरीक्षक, आयकर विभाग, मुरादाबाद।
  7. श्री मनीष कुमार पाठक, एसीआई, डीआईसी, मुरादाबाद।
- B. इसके अलावा, श्रीमती / श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (सीमा शुल्क), नोएडा एसईजेड / मुरादाबाद एसईजेड, (iii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद एसईजेड और (iv) जोसेफ उपाध्याय, आशुलिपिक, मुरादाबाद एसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह सूचित किया जाता है कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

**01. दिनांक 11/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।**

चूंकि 11/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया। तदनुसार, दिनांक 11/05/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

**02. अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करने का प्रस्ताव।****2.1 मैसर्स सी. एल. गुप्ता ओवरसीज एलएलपी**

1. मैसर्स सी. एल. गुप्ता ओवरसीज एलएलपी का प्रस्ताव (i) निर्यात के लिए एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन और (ii) एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया था।
2. समिति को सूचित किया गया था कि मैसर्स सी. एल. गुप्ता ओवरसीज एलएलपी को उनके तत्काल निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा निर्यात के लिए निम्नलिखित एक बार की अनुमति दी गई है:

सुरेंद्र मलिक

क्रमांक	माल का विवरण	आईटीसी (एचएस) कोड	खेप का मूल्य
01	लोहे या इस्पात के अन्य लेख	73262090	15,00,000.00
02	डोमस्टेन स्तूल (180 नग)	94017900	1,72,908.00

3. श्री कला मुकुंदन, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री मुकुंदन ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकृत परिचालनों में 04 प्रमुख श्रेणियों के तहत 16 उत्पाद/आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने आगे बताया कि वे अतिरिक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए मौजूदा संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करेंगे। 08.06.2023 तक प्राप्ति के लिए लंबित 8.07 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा के बारे में पूछे जाने पर, श्री मुकुंदन ने बताया कि वह जल्द से जल्द इस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया:

- इकाई को निर्धारित समय अवधि से परे लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
- दिनांक 24.05.2023 और 07.06.2023 की एक बार की अनुमति की पुष्टि की और स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित दो उत्पादों अर्थात् "लोहा या इस्पात के अन्य लेख" (एचएस 73262090) और "डोमस्टेन स्तूल" (एचएस 94017900) को शामिल किया।
- स्वीकृति पत्र दिनांक 17.11.2016 में अधिकृत संचालन के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त उत्पादों/आईटीसी (एचएस) कोड को शामिल करने को मंजूरी दी:

क्रमांक	इकाई के अनुसार विवरण	आईटीसी एचएस कोड	उत्पादन क्षमता
1	लोहा या इस्पात के अन्य लेख	73262090	1000000
2	पीतल/तांबे की अन्य वस्तुएं	74198030	20000
		74198090	20000
3	सीटें (चाहे बेड और उसके हिस्से में परिवर्तनीय हो या नहीं)	94013100	20000
		94013900	20000
		94014100	20000
		94014900	20000
		94015900	20000
		94016900	20000
		94017900	100000
		94018000	20000
		94019100	20000
		94019900	20000
4	उत्सव, कार्निवाल या अन्य मनोरंजन सामग्री, जिसमें मंत्रमुग्ध कर देने वाली तरकीबें और नवीनता वाले चुटकुले शामिल हैं	95051000	20000
		95059010	20000
		95059090	20000

03. निर्धारित समय से परे प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा के मामलों की निगरानी:

3.1 मैसर्स एक्वूब क्राफ्ट कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

1. इकाई के भागीदार, श्री अर्पित प्रकाश अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि प्रेषण प्राप्त हो गया है लेकिन एडी बैंक (एचडीएफसी बैंक) द्वारा सभी ई-बीआरसी को अद्यतन नहीं किया गया है। श्री अर्पित ने बताया कि वे प्रमुख रूप से यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व को निर्यात करते हैं।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई पहले से प्राप्त प्रेषित धन के संदर्भ में ई-बीआरसी की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करेगी।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और यथाशीघ्र एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जिसमें विफल होने पर, इकाई के खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.2 मैसर्स अभिषेक इंटरनेशनल।

- 1) अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
- 2) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.3 मैसर्स ए एंड एस इंटरनेशनल

- 1) अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
- 2) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

- iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.4 मैसर्स बंसल इंक।

- 1) अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
- 2) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.5 मैसर्स ब्राइट स्टार इम्पेक्स

- 1) अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
- 2) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.6 मैसर्स सी. एल. गुप्ता ओवरसीज एलएलपी।

उपरोक्त कार्यसूची बिन्दु संख्या 2.1 के साथ इस मामले को पहले ही उठाया जा चुका है।

### 3.7 मेसर्स डिज़ाइनर्स इंटरनेशनल

1. इकाई के भागीदार, श्री गुलाम समनानी, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 11.80 करोड़ रुपये के लंबित विदेशी मुद्रा से लगभग 6.00 करोड़ रुपये की ई-बीआरसी तैयार की गई है, जिसे

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

जल्द से जल्द जमा किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ और प्रेषित धन प्राप्त हुए हैं लेकिन एडी बैंक द्वारा ई-बीआरसी अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है।

2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी की प्रतिलिपि के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निर्णय लिया कि इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.8 मैसर्स दीवान इंडिया

1) समिति को सूचित किया गया कि इकाई ने अपने एडी बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) से 6.15 करोड़ रुपये की प्राप्ति के लिए लंबित सभी विदेशी मुद्रा के लिए भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसे सत्यापन उद्देश्य के लिए जारीकर्ता बैंक को भेजा गया है। यह भी सूचित किया गया कि इकाई ने मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार एचएस कोड में संशोधन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है जो प्रक्रियाधीन है।

2) अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि इस मामले को विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय के समक्ष फ़ाइल पर विचार के लिए रखा जा सकता है।

### 3.9 मैसर्स जेमिनी एंटरप्राइजेज

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:

- i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- ii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

3. अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि इकाई का स्वीकृति पत्र 19.06.2023 को समाप्त हो रहा है। इसने निर्देश दिया कि इकाई के लिए स्वीकृति पत्र नवीनीकरण पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक इकाई से उपर्युक्त अपेक्षित दस्तावेज/सूचना प्राप्त नहीं हो जाती।

### 3.10 मैसर्स ग्लोबल एक्सपोर्ट हाउस

1. इकाई के भागीदार, श्री मोहन माहेश्वरी, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 1.42 रुपये की राशि के प्रेषण के लिए ई-बीआरसी प्राप्त हो गया है और वह जल्द से जल्द जमा करेंगे। इसके अलावा, अधिक प्रेषित धन प्राप्त हुआ है जिसके लिए बैंक प्रमाण पत्र अगले सप्ताह तक प्रस्तुत किया जाएगा। श्री माहेश्वरी ने यह भी बताया कि अभी तक लगभग 2.60 करोड़ रुपये बकाया है, जिसे जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

2. अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश दिया कि इकाई पहले से प्राप्त प्रेषणों के संबंध में ई-बीआरसी/बैंक प्रमाणपत्र की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करेगी।

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

3. समिति ने आगे निर्देश दिया कि मामले को अनुमोदन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए जब इकाई से अपेक्षित दस्तावेज/जानकारी लंबित विदेशी मुद्रा प्राप्ति के संबंध में प्राप्त हो जाए।

### 3.11 मैसर्स जेएमडी इंटरनेशनल

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ऑ) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.12 मैसर्स के.के. इंटरनेशनल

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ऑ) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।
  - iv. इकाई और/या इसके प्रवर्तकओं के खिलाफ ऋण/बकाया के मामले में स्थिति जानने के लिए विकासक (यूपीसीडा) और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेशन रोड शाखा, मुरादाबाद को एक पत्र भेजा जा सकता है।

### 3.13 मैसर्स माधव मैनुफैक्चरिंग कंपनी

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ऑ) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

(एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:

- i. इकाई के प्रवर्तकों या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.14 मैसर्स नोडी एक्सपोर्ट्स इंक।

1. श्री उपदेश पाण्डेय, मानव संसाधन प्रबंधक और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा प्रेषित धन प्राप्त हो गया है लेकिन उनके एडी बैंक द्वारा ई-बीआरसी को अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। वे जल्द ही करेंगे
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी की प्रतिलिपि के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:

- i. इकाई पहले से प्राप्त प्रेषण के संदर्भ में ई-बीआरसी की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करेगी।
- ii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.15 मैसर्स पार्थ एक्सपोर्ट्स

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
- i. इकाई के प्रवर्तकों या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
- ii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।
3. समिति ने आगे निर्देश दिया कि मामले को निगरानी के लिए अनुमोदन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए।

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

**3.16 मैसर्स पूजा ओवरसीज**

1. इकाई के भागीदार, श्री धवल कपूर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सूचित किया कि इकाई के पास आज की तारीख में प्राप्ति के लिए कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं है। सभी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की गई है और इसके लिए ई-बीआरसी जल्द से जल्द जमा किया जाएगा। श्री धवल ने यह भी बताया कि इकाई प्रमुख रूप से यूरोप और अमेरिका को निर्यात करती है, जिसमें कुछ निर्यात संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल है।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया कि इस मामले को विकास आयुक्त, एनएसईजेड के समक्ष फाइल पर विचार के लिए रखा जा सकता है।

**3.17 मैसर्स राजकमल इंटरनेशनल**

1. इकाई के भागीदार, श्री अंकित अग्रवाल, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सूचित किया कि इकाई के पास आज की तारीख में प्राप्ति के लिए कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं है। सभी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की गई है और इसके लिए ई-बीआरसी जल्द से जल्द जमा किया जाएगा। श्री अंकित ने यह भी बताया कि वे जल्द ही एचएस 2023 के अनुसार अद्यतनीकरण के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के साथ-साथ आईटीसी (एचएस) कोड भी जमा करेंगे।
2. अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, इस प्रकार निर्णय लिया:
  - i. इकाई पहले से प्राप्त प्रेषण के संदर्भ में ई-बीआरसी की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करेगी।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

**3.18 मैसर्स शैला एक्सपोर्ट्स**

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।
3. समिति ने आगे निर्देश दिया कि मामले को निगरानी के लिए अनुमोदन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए।

**3.19 मैसर्स सैनिक लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड**

सुरेंद्र मलिक



I/47985/2023

1. श्री श्रीकांत, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सूचित किया कि सभी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की जा चुकी है और इसके लिए ई-बीआरसी जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा।
2. अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, इस प्रकार निर्णय लिया:
  - i. इकाई पहले से प्राप्त प्रेषित धन के संदर्भ में ई-बीआरसी की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति प्रस्तुत करेगी।
  - ii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।

### 3.20 मैसर्स इंडियन हेरिटेज परफ्यूमर्स

1. अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
2. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्ति के लिए लंबित फॉरेक्स और प्रवर्तक (ओं) या इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित न होने को गंभीरता से लिया। इसने निर्देश दिया कि ई-बीआरसी (एस) की प्रति के साथ पहले से प्राप्त प्रेषित धन की प्रति के साथ प्राप्ति के लिए लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की मांग करने वाली इकाई को एक पत्र जारी किया जाए। समिति ने आगे निम्नानुसार निर्णय लिया:
  - i. इकाई के प्रवर्तकओं या अधिकृत प्रतिनिधि को अनुमोदन समिति की अगली बैठक में उपस्थित होना चाहिए।
  - ii. इकाई एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली में पिछले वर्ष (एस) के लिए लंबित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जल्द से जल्द एक सीए प्रमाणित प्रति संलग्न करेगी, जो विफल होने पर, इकाई के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  - iii. इकाई मौजूदा एचएस 2023 नामकरण के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए आईटीसी (एचएस) कोड भी अद्यतन करेगी।
3. समिति ने आगे निर्देश दिया कि मामले को निगरानी के लिए अनुमोदन समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाए।

### 04. व्यवसाय-संघ के गठन में परिवर्तन का प्रस्ताव

#### 4.1 मैसर्स क्राफ्ट्स एग्जिम

1. मूल मालिक (मोहम्मद बिलाल खान) के निधन पर व्यवसाय-संघ के स्वामित्व में बदलाव के लिए मैसर्स क्राफ्ट्स एग्जिम के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति के विचारार्थ रखा गया था।
2. समिति को सूचित किया गया कि मैसर्स क्राफ्ट्स एग्जिम को मोहम्मद बिलाल खान के स्वामित्व की चिंता के रूप में दिनांक 26.06.2018 को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है, जिनकी मृत्यु 20.05.2021 को हुई थी। अब, सुश्री नसरीन अख्तर खान पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद बिलाल खान ने व्यवसाय-संघ का मालिक बनाने का अनुरोध किया है।
3. सुश्री नसरीन अख्तर खान और सुश्री सुनैला बिलाल अनुमोदन समिति के समक्ष पेश हुईं और उन्होंने अपने प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिलाल खान का निधन 20.05.2021 को हुआ था और वह प्लॉट नंबर एच-38, पॉकेट-ए, मुरादाबाद एसईजेड स्थित व्यवसाय-संघ मैसर्स क्राफ्ट्स एग्जिम के एकमात्र मालिक थे।

सुरेंद्र मलिक

I/47985/2023

4. यूपीएसआईडीए के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संतोष कुमार ने बताया कि इकाई पर विकासक (यूपीएसआईडीए) का लगभग 10.00 लाख रुपये बकाया है।
5. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिया:
- इकाई को उस परिवार के व्यक्ति के नाम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसे वे मेसर्स क्राफ्ट्स एक्जिम व्यवसाय-संघ का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव देते हैं।
  - इकाई व्यवसाय-संघ के भविष्य के संचालन और 16.41 करोड़ रुपये की लंबित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के संदर्भ में व्यवस्थित व्यापार योजना प्रस्तुत करेगी।
6. अनुमोदन समिति ने आगे मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया जिसे इकाई से मामले में आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त होने के बाद विचार के लिए रखा जा सकता है।
- अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

P

सुरेंद्र मलिक  
(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन  
(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त